



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

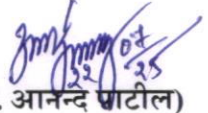
दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 002/Fellowship & Contingency/2025-26/21/ 58
दिनांक : 22.07.2025

परिपत्र

अकादमिक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2019 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिपत्र क्रमांक 003-2003/01-106/2019, दिनांक 27.08.2019 के माध्यम से शोधार्थियों को जेआरएफ, एसआरएफ अथवा अन्य छात्रवृत्तियों/शोधवृत्तियों से प्राप्त आकस्मिक निधि की अनावर्ती मद में से 50 % राशि पुस्तकों की खरीदी हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी तथा शोधवृत्ति की अवधि पूर्ण होने एवं अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित पुस्तकों को विभाग में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उपरोक्त व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप शोधार्थियों को ₹8,000/- प्रतिमाह शोधवृत्ति एवं ₹8,000/- प्रतिवर्ष आकस्मिक निधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं केन्द्र निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी
3. वित्त अधिकारी
4. सम्बन्धित पत्रावली